भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-558
बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगार युवाओं की संख्या में वृद्धि

558. डा॰ कनवर दीप सिंहः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किस हद तक रोजगार का सृजन हुआ है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान, रोजगार कार्यालयों द्वारा बेरोजगार युवाओं को दिए गए रोजगार/नौकरियों की संख्या का क्षेत्र-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन/नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित किए गए। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। 2009-10, 2011-12 एवं 2017-18 के दौरान देश में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर युवाओं (15 से 29 वर्ष आयु) में अनुमानित बेरोजगारी दर अनुबंध-। में दी गई है।

(ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 2017-18 के दौरान व्यापक उद्योग श्रेणी द्वारा सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) में कामगारों का अनुमानित प्रतिशत वितरण प्राथमिक क्षेत्र में 44.1%, द्वितीयक क्षेत्र में 24.8% तथा तृतीयक क्षेत्र में 31.1% था।

(घ): राज्यों/संघ राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-।। में दी गई है।

(ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 31.05.2019 तक, योजना में 1,51,579 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए गए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 26.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 558 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15-29 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेरोजगारी दर (% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)		2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)		2017-18* (पीएलएफएस)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1.	आंध्र प्रदेश	3.1	8.4	3.6	11.8	13.4	22.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.6	15.4	6.1	19.8	23.6	40.8
3.	असम	11.3	20.1	14.6	18.6	27.6	21.1
4.	बिहार	6.2	23	9.4	14.8	22.2	28.9
5.	छत्तीसगढ़	1.8	8.7	2.3	11.1	7.8	21.1
6.	दिल्ली	5.2	6.6	21.1	10.4	10.5	22.5
7.	गोवा	11.1	9.8	10.7	12.7	32.9	25.0
8.	गुजरात	2.2	4.3	0.9	2.1	14.9	10.7
9.	हरियाणा	4.6	5.2	6.5	12.1	23.1	16.3
10.	हिमाचल प्रदेश	4.9	14.3	3.6	7.2	17.7	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	6.4	16.1	7.1	18.7	12.6	24.4
12.	झारखंड	12.3	18.6	6.2	15.1	18.4	31.0
13.	कर्नाटक	1.6	7.3	2.4	7.8	14.9	17.1
14.	केरल	24.4	19.9	21.7	18.0	32.5	41.5
15.	मध्य प्रदेश	1.9	7	1.2	7.9	10.0	19.3
16.	महाराष्ट्र	1.6	7.9	2.3	5.8	12.1	18.9
17.	मणिपुर	12.8	18.1	9.1	26.2	35.3	36.8
18.	मेघालय	0.9	14.8	0.0	4.6	2.0	20.6
19.	मिजोरम	3.5	7.9	5.1	15.0	19.5	40.8
20.	नागालैंड	27.7	34.4	40.3	70.3	56.2	55.2
21.	ओडिशा	9.7	13.4	6.1	9.3	23.3	25.2
22.	पंजाब	8.3	11.4	5.8	5.6	23.1	19.5
23.	राजस्थान	1.1	5.8	1.8	7.0	13.0	18.5
24.	सिक्किम	13.2	0	3.1	5.3	9.7	12.8
25.	तमिलनाडु	5.8	9.7	7.2	8.6	29.3	21.4
26.	तेलंगाना	-	-	-	-	20.8	27.0
27.	त्रिपुरा	23.3	40.2	29.1	49.7	18.9	24.2
28.	उत्तराखंड	4.8	7.8	10.6	9.4	27.4	27.7
29.	उत्तर प्रदेश	3.1	6.7	2.4	10.4	15.5	20.9
30.	पश्चिम बंगाल	5.2	13.2	7.3	13.2	11.0	18.3
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24	20.5	13.2	18.1	39.2	34.1
32.	चंडीगढ़	47.7	8.9	0.0	15.0	15.3	14.1
33.	दादर और नगर हवेली	12.8	10.7	0.0	0.0	1.9	0.2
34.	दमन और दीव	14.5	3.5	0.0	1.7	20.4	5.5
35.	लक्षद्वीप	30.3	18.8	24.5	33.0	30.3	65.2
36.	पुडुचेरी	11.8	9.2	4.6	7.3	53.4	28.0
	अखिल भारत	4.7	8.9	4.9	9.2	16.6	20.6

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

*(टिप्पणी: *तुलना हेतु, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौर के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 26.06.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 558 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नियोजन की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजन (हजार में)		
		2014	2015#	2016#
1	आंध्र प्रदेश	0.4	0.2	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0
3	असम	1.1	0.9	0.6
4	बिहार	0.1	1.1	1.9
5	छत्तीसगढ़	0.9	3.2	0.2
6	दिल्ली	0.2	0.2	0.0
7	गोवा	2.1	2.9	1.1
8	गुजरात	290.8	336.7	330.1
9	हरियाणा	0.2	0.3	0.4
10	हिमाचल प्रदेश	2.3	1.1	1.5
11	जम्मू और कश्मीर	0.4	0.1	0.2
12	झारखंड	1.1	2.9	2.5
13	कर्नाटक	2.1	0.8	0.7
14	केरल	8.0	8.2	11.3
15	मध्य प्रदेश	0.2	0.1	0.1
16	महाराष्ट्र	9.5	22.9	37.6
17	मणिपुर	0.0	0.0	0.0
18	मेघालय	0.0	0.1	0.0
19	मिजोरम	0.1	0.0	0.0
20	नागालैंड	0.0	0.0	0.0
21	ओडिशा	0.7	1.3	3.8
22	पंजाब	2.4	1.7	2.6
23	राजस्थान	0.4	0.4	0.1
24	सिक्किम *	-	-	-
25	तमिलनाडु	8.8	7.7	6.2
26	तेलंगाना	-	0.5	0.5
27	त्रिपुरा	2.4	0.4	0.2
28	उत्तराखंड	0.6	0.2	0.3
29	उत्तर प्रदेश	1.3	0.4	1.5
30	पश्चिम बंगाल	1.5	0.5	1.2
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.1	0.1	0.4
32	चंडीगढ़	0.1	0.1	0.2
33	दादर एवं नगर हवेली	0.0	0.0	0.0
34	दमन और दीव	0.0	0.0	0.0
35	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0
36	पुडुचेरी	0.3	0.1	0.1
	योग	338.5	395.0	405.5

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है; # अनंतिम;

हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं। आंकड़े 2016 के उपरांत समेकन के अधीन हैं।